पत्रांक --13/प्र 24-03/90 ..../-

बिहार सरकार

मानव संसाधन विकास विभाग

बिहार, पटना

प्रेषक,

श्री कमलेश्वर प्रसाद सिंह,
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

सेवा में,

श्री अशोक गांगुली,
अध्यक्ष,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,
शिक्षा केन्द्र, 2 कम्युनिटी सेन्टर,
नई दिल्ली-110092

पटना, दिनांक

विषयः- मोडर्न स्कूल, आम्रपाली पथ, पॉलसन रोड, दीघा घाट, पटना को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली से संबद्धता हेतु विभागीय अनापत्ति पत्र के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि मोडर्न स्कूल, आम्रपाली पथ, पॉलसन रोड, दीघा घाट, पटना को पूर्व में विभागीय पत्रांक-1225 दिनांक- 24.06.97 के द्वारा अनापत्ति निर्गत किया गया था। उक्त विद्यालय के द्वारा विभाग को आवेदन दिया गया है कि उनका विद्यालय आम्रपाली पथ, पॉलसन रोड, दीघा घाट, पटना में लीज पर लिये गये भूमि पर निर्मित होकर संचालित है। विभागीय अधिसूचना संख्या- 238 दिनांक-03.04.06 के आलोक में विद्यालय के प्राचार्या से पुनः स्थिति की जानकारी देने को कहा गया। तद्नुसार विद्यालय के द्वारा सूचना उपलब्ध करायी गयी है। उपलब्ध कराये गये कागजातो की समीक्षा की गयी, सिके अनुसार स्थिति निम्नवत् है।

1. विद्यालय का संचालन "माया मेमोरियल एजुकेशन ट्रस्ट" के द्वारा किया जाता है। न्यास के शासी निकाय के सदस्यो की सूची दी गयी है, जिसमें उनका, पेशा और पता भी अंकित है। यह भी सूचना दी गयी है कि शासी निकाय में किसी एक परिवार का प्रभुत्व नहीं है तथा उनके बीच आपस का संबंध भी नहीं है।
2. विद्यालय ने किसी अन्य निबंधित सोसाईटी/न्यास के फ्रेन्चाईजी के रूप में स्थापित नही होने अथवा किसी विद्यालय के Brand name का उपयोग नही करने का दावा किया है ।
3. विद्यालय को 30 वर्षो के लीज पर 2 एकड़ भूमि उपलब्ध है, जिसपर विद्यालय का अपना भवन निर्मित है, जिसमें उपस्कर, प्रयोगशाला, पुस्तकालय आदि उपलब्ध होने की सूचना दी गयी है। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली अपने निरीक्षण दल से विद्यालय का स्थल निरीक्षण कराकर यह सुनिश्चित होने के उपरान्त ही की विद्यालय की आधारभूत संरचना एवं अन्य सुविधा बोर्ड के द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुरूप है, विद्यालय को सम्बद्धता देगी।
4. विद्यालय में प्रचार्य सहित 18 शिक्षक है, जिसमें 16 प्रशिक्षित है। शिक्षको की नियुक्ति विहित प्रक्रिया से विज्ञापन निकालकर किये जाने का दावा किया गया है। परन्तु यह नही बताया गया है कि शिक्षको की अर्हता राष्ट्रीया अध्यापक शिक्षा परिषद् के मापदंड के अनुरूप है या नहीं। इस विन्दु को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली को जॉच कर सुनिश्चित कर लेना होगा।
5. विद्यालय के द्वारा हिन्दी विषय पढ़ाने का दावा किया गया है ।
6. विद्यालय के द्वारा निर्धारित टयुशन शुल्क, अन्य प्रकार का शुल्क, वार्षिक लेखा, अंकेक्षण तथा वार्षिक प्रतिवेदन प्रतिवर्ष सत्र चालू होने के पूर्व सार्वजनिक किये जाने की सहमति दी गयी है। और इन सुचनाओ को शिक्षक/अभिभावको की बैठक में उपस्थापित किये जाने पर सहमति भी दी गयी है।

7. विद्यालय के द्वारा लिखित रूप से सहमति दी गई ... उस विभागीय अधिसूचना संख्या 238 दिनांक 03.04.2006 में उल्लेखित अपेक्षित शर्त्तें स्वीकार है । अपेक्षित शर्त्तों के अनुसार :–

(i) विद्यालय में क्षमता का 25% नामांकन पड़ोस में निवास करने वाले परिवार के बच्चों का निःशुल्क किया जायेगा तथा उनसे ट्यूशन शुल्क अथवा किसी अन्य प्रकार का शुल्क नही लिया जायेगा । ऐसे बच्चों की श्रेणी में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, विकलांग बालिकाएँ तथा सामान्य श्रेणी के परिवार जिनकी आय अधिकतम 60,000/– रूपये प्रतिवर्ष हो होगें।

(ii) विद्यालय में नर्सरी/के0जी0 अथवा प्राथमिक कक्षा में नामांकन के लिए किसी तरह की प्रवेश परीक्षा/साक्षात्कार (बच्चों एवं माता/पिता सहित) नही लिया जायेगा । अगर नामांकन के लिए आवेदन निर्धारित क्षमता से अधिक हो तो खुलें तरीका से Draw of Lots के माध्यम से नामांकन के लिए बच्चों का चयन किया जायेगा ।

(iii) नर्सरी/के0जी0 तथा प्राथमिक कक्षाओं के लिए प्रवेश लेने वाले बच्चो का विद्यालय से आवास की दूरी अधिकतम एक किलोमीटर एवं उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक कक्षा में नामांकन हेतु अधिकतम दूरी 3 किलोमीटर तक रहेगी ।

(iv) जिन बच्चों का नामांकन नही होता है उनसे ली गई आवेदन शुल्क की राशि का 80% राशि वापस लौटाने की व्यवस्था होगी ।

8. विद्यालय का निरीक्षण विभागीय पदाधिकारियों के द्वारा नहीं किया गया है । केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली अपने स्तर से जॉच कर यह सुनिश्चित हो ले कि विद्यालय उनके निर्धारित मापदण्ड के आधार पर संचालित है ।

9. केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि संबंधित विद्यालयों के द्वारा अपनी सहमति के अनुसार विभागीय अधिसूचना में उल्लेखित अनिवार्य /आपेक्षित शर्त्तों का अनुपालन किया जा रहा है । विद्यालय को यह शर्त्तें सार्वजनिक करनी होगी तथा इनका उल्लेख प्रोस्पेक्टस एवं वेवसाइट में करना होगा ।

10. शर्त्तों के उल्लंधन की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा तथा संबंधन रद्द करने की कार्रवाई की जायेगी ।

11. उपरोक्त तथ्यों के आलोक में एवं उपर वर्णित शर्त्तों के आधार पर पूर्व में विभागीय ज्ञापांक–357 दिनांक–26.06.05 के क्रम में मोडर्न स्कूल, आम्रपाली पथ, पॉलसन रोड, दीघा घाट, पटना को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति दी जाती है।

12. विद्यालय से प्राप्त आवेदन दिनांक 30.04.07 की छायाप्रति संलग्न है ।

विश्वासभाजन

अनुलग्नक –यथोक्त

ह0/–
(कमलेश्वर प्रसाद सिंह)
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

ज्ञापांक – 409 पटना, दिनांक– 24.5.07

प्रतिलिपि – प्राचार्य, मोडर्न स्कूल, आम्रपाली पथ, पॉलसन रोड, दीघा घाट, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

24.5
(कमलेश्वर प्रसाद सिंह)
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा